न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2016

अपीलांट

1. सरूपसिंह पुत्र श्री राणसिंह के वारिसान एवं उतराधिकारी–
   1/1 पुष्पकंवर पत्नी श्री राणसिंह जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी मण्डवारिया।
2. विजयराजसिंह पुत्र श्री राणसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
3. भगवतकुँवर पुत्री श्री राणसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
4. पुनमकुँवर उर्फ मंछा कुँवर पुत्री श्री राणसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा, खेती, निवासी मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
5. बंटीकुँवर पुत्री श्री राणसिंह, जाति राजपूत, आयु 12 वर्ष, नाबालिग, निवासी मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान जरिये कुदरती वलीया माता पुष्पकुँवर पत्नी श्री राणसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी मण्डवारिया, तहसील सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. पूरणसिंह पुत्र श्री राणसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
2. छैलकुँवर पुत्री राणसिंह पत्नी श्री गोपालसिंह जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी मण्डवारिया हाल पादरू, तहसील सिवाना व जिला बाडमेर, राजस्थान।
3. मनोहरसिंह गोदी पुत्र श्री रतनसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दिनेश चन्द्र सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

—: निर्णय :—

दिनांक : 09.09.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2005 बउनवान पूरणसिंह बनाम राणसिंह वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त अराजी मौजा मण्डवारिया, तहसील सिरोही के खसरा संख्या 584, 585, 586, 587 एवं 588 कुल रकबा 57 बीघा 02 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जब वाद प्रस्तुत किया, तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता जीवित थे, तथा उनके जीवित रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक मांग करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वादग्रस्त आराजी अपने दादा के होने का कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया, जिससे यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वागसिंह का पोता है। हस्तगत प्रकरण में वागसिंह का पुत्र राणसिंह है, इस कारण से राणसिंह के जीवित रहते हुए उनके जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक—अधिकार नहीं था। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हक अधिकार की मांग करने का अधिकार नहीं था। हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अनुसार दादा की सम्पति में पुत्री का जन्म से अधिकार होता है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वाद में अपीलांट संख्या 06 बंटीकुँवर को पक्षकार ही नहीं बनाया। जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सम्पति में पोत्र व पोत्रीयो का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सरूपसिंह के अविवाहित फौत होने से उसकी माता अपीलांट पुष्पकुँवर उसके हिस्से की एम मात्र उतराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो एवं कानूनी बिन्दुओ पर गौर किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये— (1) 2016 DNJ (SC) 258 Uttam vs Saubhag Singh & Ors. (2) 2009 (1) DNJ (Raj) 279 Abdul Wasi vs Abdul Kadir & Ors.

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त अराजी मौजा मण्डवारिया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

तहसील सिरोही के खसरा संख्या 584, 585, 586, 587 एवं 588 कुल रकबा 57 बीघा 02 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय वागसिंह पुत्र अदेयसिंह जी की पुश्तैनी खातेदारी आराजी थी। वागसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त आराजी वागसिंह के तीन पुत्र राणसिंह, उतमसिंह व जालमसिंह ने आपस में उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा कर अपने–अपने नाम पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करवाई। उक्त बंटवाडे से प्राप्त राणसिंह के नाम दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वागसिंह का पोत्र एवं राणसिंह का पुत्र होने से राणसिंह के नाम दर्ज आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वाद प्रस्तुत कर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत राणसिंह जी की खातेदारी आराजी में हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त अराजी मौजा मण्डवारिया, तहसील सिरोही के खसरा संख्या 584, 585, 586, 587 एवं 588 कुल रकबा 57 बीघा 02 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात मौजा मण्डवारिया, तहसील सिरोही के खसरा संख्या 584, 585, 586, 587 एवं 588 कुल रकबा 57 बीघा 02 बिस्वा स्वर्गीय वागसिंह पुत्र अदेयसिंहजी के पुश्तैनी खातेदारी आराजी थी। वागसिंह के देहान्त के पश्चता उक्त आराजी वागसिंह के तीन पुत्र राणसिंह, उतमसिंह एवं जालमसिंह के नाम आपसी सहमति से बंटवाडे के पश्चात दर्ज हुई। राणसिंह ने दो शादीयां की। राणसिंह की पहली पत्नी से राणसिंह, मनोहरसिंह व सरूपसिंह एवं पुत्री छैलकुँवर हुए। जिसमे से मनोहरसिंह रतनसिह के गोद जाने से राणसिंह की आराजी में उसके हक–अधिकार समाप्त हो गये। इसके अतिरिक्त सरूपसिंह अविवाहित है। एवं छैलकुँवर की शादी हो जाने से वह ससुराल में निवास करती है। राणसिंहजी की दूसरी शादी से तीन पुत्रियां भागतवकुंवर, पूनमकुंवर व बंटीकुंवर हुई, इसके अतिरिक्त एक पुत्र विजयराज हुआ। साथ ही राणसिंह जी के दूसरी पत्नी पुष्पकुंवर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ रहती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वाद प्रस्तुत कर उक्त तथ्यो का हवाला देते हुए वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वाद प्रस्तुत करते समय राणसिंहजी की दूसरी पत्नी से पैदा हुई तीन पुत्रियां भागतवकुंवर, पूनमकुंवर व बंटीकुंवर का वाद में पक्षकार नहीं बनाया। साथ ही छैलकुंवर को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के पश्चात से पुत्रियो का दादा की सम्पति पर जन्म से हक–अधिकार उत्पन्न हो जाते है। जिससे पुश्तैनी आराजी होने के कारण राणसिंह के प्रत्येक पुत्र एवं पुत्रियो का राणसिंह की खातेदारी आराजी में बराबर का हक–अधिकार है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राणसिंह के प्रत्येक वारिसान को वाद प्रस्तुत करते समय पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2005 बउनवान पूरणसिंह बनाम राणसिंह वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्णतया अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली कैम्प-सिरोही